न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.
पीठासीन अधिकारी :– शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण :–

1. भंवरसिंह पुत्र मंगेजसिंह राजपूत
2. इन्द्राकंवर पुत्री मंगेजसिंह राजपूत
3. ओमकंवर पुत्री मंगेजसिंह राजपूत
4. लक्ष्मीकंवर पुत्री मंगेजसिंह राजपूत
5. सुगनकंवर पुत्री मंगेजसिंह राजपूत

निवासी धीजपुरा तह. मकराना

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, मकराना
2. सुन्दरकंवर पत्नी हनुमानसिंह राजपूत निवासी मनाना तह. मकराना

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट
उपस्थित :– श्री अनिल कुमार सोनी अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री राजूराम चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2

मुकदमां नम्बर :–2022/228

निर्णय दिनांक :– 21.09.2022

निर्णय

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि मौजा धीजपुरा के खसरा नम्बर 344/2 रकबा 1.6349 हैक्टयर व खसरा नम्बर 344/3 रकबा 0.1295 हैक्टयर भूमि स्थित है। खसरा नम्बर 344 रकबा 2.0072 हैक्टयर भूमि सुन्दर कंवर पत्नी हनुमानसिंह राजपूत के नाम आया हुआ है। प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे सुदा भूमि खसरा नम्बर 344/2, 344/3 के उत्तरी पूर्वी सींव के चीपते ही मनाना से धीजपुर व आगे लारोली डामर सड़क जाती है इस सड़क पर खसरा नम्बर 344/2 की भूमि लगती है खसरा नम्बर 344 का कोई भू–भाग उक्त सड़क सीमा से लगता हुआ नहीं रहा है। जिसके बावजूद राजस्व कर्मचारियों ने सेहवन से प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 344/2 के उत्तरी और पूर्व से पश्चिमी और सड़क से लगती हुयी रास्ते नुमा लकीर गलती से या खसरा नम्बर 344 के खातेदार से मिलीभगत करके खसरा नम्बर 344/2 के उत्तरी और नक्शा में दर्शा दिया है जो बिना किसी राजस्व अधिकारियों के आदेशों के किया गया है, जिससे प्रार्थीगण का रकबा कम होने से प्रार्थीगण को भंयकर नुकसान हुआ है प्रार्थीगण ने अभी हाल ही में दो कमरे निर्माण अपने खसरा नम्बर 344/2 की सीमा में कर रहा था तो दिनांक 09.11.2020 को भयंकर मारपीट करके हाथ तोड़ दिया जिसकी एफ.आई.आर. नम्बर 374/20 प्रार्थी ने मकराना थाने में दर्ज करवायी है। माह नवम्बर 2020 में प्रार्थीगण के विरूद्ध

उपखण्ड अधिकारी

बिल्कुल ही गलत तथ्य अंकित कर दावा व टी.आई. सुन्दर कंवर ने पेश कर प्रार्थीगण के विरूद्ध टी.आई. आदेश एक तरफा में जारी करवा लिया प्रार्थीगण को नोटिस प्राप्त होने पर प्रार्थीगण ने टी.आई. का जबाब पेश कर दिया तथा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार मकराना के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार साहब ने आर.आई. व हल्का पटवारी से रिपोर्ट मंगवायी जिसमें उन्होने नक्शा में खसरा नम्बर 344 को सड़क से लगता हुआ गलत बताया है। जिसकी दुरूस्ती का तहसीलदार को कहने पर उनके द्वारा स्थगन आदेश होने से रिकार्ड दुरूस्त करने से इन्कार करने पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि खसरा नम्बर 344 को खसरा नम्बर 344/2 की उत्तरी सींव सींव आम सड़क के लगते हुय लिपिकिय त्रुटिवंश बताया गया है उस नक्शे को दुरूस्त कर नक्शे की पूर्व स्थिति कायम करने के आदेश फरमावे।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उपखण्ड न्यायालय मकराना में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। इसी दौरान दिनांक 05.03.2021 को अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजूराम चौधरी ने एक प्रार्थना पत्र ऑडर 1 रूल 10 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया। जिसका जबाब प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दिनांक 11.05.2022 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। राजपैरोकार तहसीलदार मकराना ने दिनांक 17.06.2022 को जबाब प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर महोदय नागौर से इस न्यायालय को मुन्तकिल की जाने पर पत्रावली दिनांक 05.07.2022 को दर्ज रजिस्टर की जाकर उभय पक्षकारो को सूचित किया गया। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सोनी ने तथा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजूराम ने दिनांक 16.08.2022 को उपस्थित आये। उभय पक्षकारो के अधिवक्ताओं की बहस प्रार्थना पत्र ऑडर 1 रूल 10 सीपीसी पर सुनी जाकर दिनांक 30.08.2022 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 को पक्षकार बनाया गया। दिनांक 13.09.2022 को अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जबाब पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ने जबाब पेश कर निवेदन किया है कि मनाना से धीजपुरा व आगे लोरोली जाने वाली डामर सड़क पर अप्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 344 की भूमि लगती है जिसका इन्द्राज भू–नक्शा तरमीम मोमिया सीट में है एवं सन् 1975–76 में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा भू– सूधार के तहत संधारित नक्शा ट्रेस में ग्राम मनाना के अन्य खसरा नम्बरों के साथ–साथ मूल खसरा संख्या 344 में नवीन खसरा नम्बर 344, 344/1, 344/2, 344/3 की तरमीम की गई जिसके अनुसार खसरा नम्बर 344/2 के उत्तरी तरफ खसरा नम्बर 344 का रास्ते के रूप में सड़क तक अंकित है। अप्रार्थी 2 के खेत खसरा नम्बर 344 का भाग मनाना से लोरोली सड़क पर लगता है एवं

उपखण्ड अधिकारी

उक्त भू–भाग का उपयोग उपभोग अप्रार्थी 2 करते आ रहे है जिसका इन्द्राज नक्शा ट्रेस में भू–सूधार के समय से ही चला आ रहा है किसी प्रकार की कोई राजस्व कर्मचारियों की भूल से दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 2 को अपनी खातेदारी भूमि में आने – जाने से रोकने के लिऐ एक जबरदस्ती निर्माण करने लगा तब अप्रार्थी संख्या 2 ने एक राजस्व वाद स्थाई निषेधाज्ञा एवं एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का उपखण्ड न्यायालय मकराना में प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 05.11.2020 को प्रार्थना पत्र संख्या 80/2020 में हो रखा है। अप्रार्थी के हक हिस्से में दखल उत्पन्न करने पर वाद पत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है जिसमें प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर रखा है एवं तहसीलदार मकराना ने अपनी रिपोर्ट में खसरा नम्बर 344 को सड़क से लगता हुआ होना सही बताया है। वर्तमान भू– नक्शा /ट्रेस में किसी प्रकार को कोई गलत इन्द्राज नही रखा है एवं प्रार्थी संख्या 1 के पिता ने उक्त जमीन बक्सुराम पुत्र खांगाराम जाति जाट निवासी मनाना व अप्रार्थी संख्या 2 के पति हनुमानसिंह पुत्र भभूतसिह निवासी मनाना से दिनांक 08.04.1975 को खरीद की उससे पूर्व उक्त भूमि अप्रार्थी 2 के पति व बक्सुराम की खातेदारी की भूमि थी तथा प्रार्थी के पिता मंगेजसिंह के नाम रजिस्टर्ड बेचाननामें में उत्तरी तरफ रास्ते की भूमि बतायी गई है जिससे प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदर पूर्वक अध्ययन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन के पश्चात प्रकरण का मुख्य बिन्दु प्रार्थीगण के अनुसार यह है कि ग्राम धीजपुरा के खसरा नम्बर 344/2, 344/3 के उत्तरी – पूर्वी सींव से चीपते हुऐ मनाना से धीजपुरा व आगे लोरोली डामर सड़क है इस सड़क से खसरा नम्बर 344 जो अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी सुदा भूमि है तक आने जाने का कोई रास्ता नक्शा ट्रेस में वक्त सेटलमेन्ट से दर्ज नही रहा है ना ही कोई रास्ता था, गत सेटलमेन्ट में खसरा नम्बर 344/2 जो प्रार्थीगण की खातेदारी सुदा भूमि है के उत्तरी तरफ पूर्व से पश्चिम खसरा नम्बर 344 जो अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी में दर्ज है, तक राजस्व कर्मचारियों द्वारा नक्शा ट्रेस में गलती से एक लकीर बना दी गई, जो बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बनायी गई है जबकि मौके पर कोई रास्ता नहीं है खसरा नम्बर 344/2 सम्पूर्ण भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी सुदा भूमि है जिसमें से खसरा

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

नम्बर 344 तक आने जाने का कोई रास्ता पूर्व में भी नहीं था ना ही वर्तमान में रास्ता है। इस सम्बन्ध में भूमिधारी तहसीलदार मकराना द्वारा जबाब प्रस्तुत किया है। जिसमें अंकित किया है कि ग्राम मनाना में से नवसृजित ग्राम धीजपुरा बना है। ग्राम मनाना की मूल नक्शा शीट सम्वत 2004 के अनुसार वर्ष 1975–76 में भू –प्रबन्ध विभाग द्वारा भू सूधार के तहत संधारित मोमिया नक्शा शीट में ग्राम मनाणा के अन्य खसरा नम्बरो के साथ मूल खसरा नम्बर 344 में नवीन खसरा नम्बर 344, 334/1, 344/2, 344/3 की तरमीम की गयी है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 344/2 के उत्तरी तरफ खसरा नम्बर 344 का हिस्सा सड़क तक अंकित है तथा खसरा नम्बर 344 की खातेदारी जमाबन्दी के अनुसार रकबा सही है। इसी प्रकार बेचान दस्तावेज दिनांक 08.04.1975 एवं बेचान दस्तावेज दिनांक 06.04.2005 के अनुसार खसरा नम्बर 344 में जाने का रास्ता खसरा नम्बर 344/2 की उत्तरी सींव पर लिखा हुआ है। बेचान दस्तावेज दिनांक 08.04.1975 के अनुसार तत्समय ग्राम मनाना वर्तमान धीजपुरा के खसरा नम्बर 344 रकबा 25–11 बीघा भूमि के खातेदार हनुमानसिंह पुत्र भभूतसिंह राजपूत जो अप्रार्थी 2 के पति के नाम दर्ज थी जिन्होने 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि एंव बगसूराम पुत्र खांगाराम जाट ने 4 बीघा 05 बिस्वा 10 बिशवांशी कुल रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा 10 बिशवांशी भूमि दोनों का 1/2 हिस्सा मंगेजसिंह पुत्र शूरसिंह राजपूत को बेचान किया गया था जिसमें रास्ते का उल्लेख है बेचान दस्तावेज 06.04.2005 के द्वारा बगसाराम पुत्र खांगाराम जाट द्वारा खसरा नम्बर 344 रकबा –08 बीघा भूमि का बैचान अप्रार्थी 2 के पक्ष में किया गया है इस दस्तावेज में रास्ते का उल्लेख नहीं है। तहसीलदार मकराना ने अपने जबाब में यह भी बताया है कि बेचान दस्तावेज 08.04.1975 के पृष्ठ संख्या 3 व 4 पर बेचान की गई भूमि के पडौस अंकित किये है तथा पूर्वी तरफ की भूमि बेचान की गई है तथा बगसूराम की शेष बची भूमि में आने – जाने के लिये रास्ता मंगेजसिंह को बेचान की गई भूमि में उत्तरी सींव सींव गाड़ी रास्ता रखा गया है तथा दूसरा रास्ता मंगेजसिंह की कोटड़ी (घर) के सामने से रखा है बेचान दस्तावेज में यह भी उल्लेख किया गया है कि दोनों में से कोई एक रास्ता रहेगा। तहसीलदार मकराना ने अपने जबाब में अंकित किया है कि जिला कार्यालय से प्राप्त नक्शे की प्रमाणित अनुसार ग्राम मनाना की मूल नक्शा शीट सम्वत 2004 के अनुसार सन् 1975–76 में भू– प्रबन्ध विभाग द्वारा भू– सूधार के तहत संधारित मोमिया नक्शा शीट में ग्राम मनाणा हाल धीजपुरा के अन्य खसरा नम्बरो के साथ साथ मूल खसरा नम्बर 344 में नवीन खसरा नम्बर 344, 344/1, 344/2, 344/3 की तरमीम अंकित है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 344/2 के उत्तरी तरफ खसरा नम्बर 344 का हिस्सा सड़क तक अंकित है प्रकरण में वर्ष 1975–76 में भू – सुधार के दौरान अंकित तरमीम बेचान दस्तावेज 08.04.1975 के अनुसार में

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

अंकित है तथा वर्तमान ऑनलाईन भू– नक्शा में भी अंकित तरमीम 1975–76 के अनुसार ही अंकित है, जो प्रस्तुत रिकार्ड से भी साबित होता है। बैचान दस्तावेज में स्पष्ट रूप से अंकित है बगसूराम के बेचान हुए खेत की जमीन में आने जाने का रास्ता सड़क से मगेजसिंह कर बेचान सुदा जमीन के उतरादी सींव सींव होकर गाडी गेला रहेगा जिसमें मवेशी वगैराह सब आ– जा सकेगें जिसमें मगेजसिंह रोक टोक नहीं करेगें लिखा हुआ है। उक्त रास्ता मौके पर कायम है अथवा नहीं तथा उक्त रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 344 अप्रार्थी 2 की खातेदारी का हिस्सा है अथवा नहीं इस सम्बन्ध में एक वाद उपखण्ड न्यायालय मकराना में अन्तर्गत धारा 188 के तहत एक वाद तथाकथित रास्ते के विवाद को लेकर ही विचाराधीन है। जिसमें राजस्व रिकार्ड का विवेचन होकर साक्ष्य सबूतो के आधार पर तथाकथित रास्ता मौके व राजस्व रिकार्ड के अनुसार है अथवा नहीं यह तथ्य गुणावगुण के आधार पर तय होना है। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 344 पूर्वी में एक ही चक में थी जो ग्राम मनाना से धीजपुरा आगे लोरोली जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है। जिसका बैचान प्रार्थीगण के पिता व पति द्वारा अप्रार्थी 2 व बगसुराम के पक्ष किया गया था, उक्त बैचान दस्तावेज में भी बैचान सुदा भूमि के अतिरिक्त खातेदार की शेष भूमि में से उत्तरी तरफ रास्ता आने जाने हेतु रखा गया है का उल्लेख है। जिसके दौरान भू– सुधार कार्य हुआ जिसमें खसरा नम्बर 344 के बट नम्बर खसरा नम्बर 344, 344/1, 344/2, 344/3 कायम किये गये थे जिसमें खसरा नम्बर 344/2 की उत्तरी सीमा पर खसरा नम्बर 344 का हिस्सा जो ग्राम मनाना से धीजपुरा आगे लोरोली जाने वाली सड़क तक रखा गया है जिसका उल्लेख नक्शा ट्रेस में भी किया गया है जिसको तहसीलदार मकराना ने अपने जबाब में स्वीकार किया है, जिसके साथ ही विवादित मूल वाद को लेकर उपखण्ड न्यायालय परबतसर में एक वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र उपखण्ड न्यायालय मकराना में इस प्रकरण के पूर्व से ही विचाराधीन है, जिसमें मूल वाद का निस्तारण होना शेष है। जिससे प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। यह आदेश आज दिनांक 21.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/9/22

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर